Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 124/2018

श्री हरि प्रसाद नन्दवाना,
14, विनायक नगर,
बोहरा गणेश जी रोड,
उदयपुर–313001 (राज.) **अपीलार्थी**

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 04.102018
अपील में निर्णय की दिनांक 31.10.2018

निर्णय

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 07.08.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नही की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 07.08.2018) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचनाओं में कुछ सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचनाओं के प्रकटन के संबंध में अपनी सहमति/असहमति प्रस्तुत करने हेतु तृतीय पक्ष को लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.2018 को पत्र जारी किया गया जिसके क्रम मे तृतीय पक्ष द्वारा पत्र दिनांक 24.08.2018 के द्वारा सूचनाओं को प्रकट करने में अपनी सहमति जताई गई। कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी के पत्रांक 259 दिनांक 16.10.2018 के द्वारा सूचना निःशुल्क अपीलार्थी/आवेदक को भिजवायी गयी जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

श्री हरि प्रसाद नन्दवाना,
14, विनायक नगर,
बोहरा गणेश जी रोड,
उदयपुर–313001 (राज.)
मो0 –9829478654

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

Contd.

प्रसंगः—आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2018 (विश्वविद्यालय मे प्राप्ति दिनांक 07.08.2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से वांछित सूचना के क्रम में बिन्दुवार प्रत्युत्तर / सूचना निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर / सूचना
1.	निदेशक कार्य भू सम्पदा कार्यालय मे कार्यरत श्री खेमराज मिस्त्री की पदौन्नती से संबंधित निम्न सूचना के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने बाबत। 1 श्री खेमराज मिस्त्री पद पर प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति।	बिन्दू संख्या 01 से सबंधित सूचना के 02 पृष्ठ निःशुल्क संलग्न है।
	2 श्री खेमराज को स्थाई करने के आदेश की प्रमाणित प्रति।	बिन्दू संख्या 02 से संबंधित सूचना के 02 पृष्ठ निःशुल्क संलग्न है।
	3 श्री खेमराज को मिस्त्री पद से कनिष्ठ अभियन्ता / ओवरसियर पद पर पदौन्नति से संबंधित पत्रावली के सभी दस्तावेजो की मय कार्यालय टिप्पणी के प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	श्री खेमराज को मिस्त्री पद से कनिष्ठ अभियन्ता / ओवरसियर पद पर पदौन्नति से संबंधित कोई इन्द्राज सेवाभिलेखो में नही है। वर्तमान में श्री खेमराज मिस्त्री के पद पर कार्यरत है।
	4 श्री खेमराज की पदौन्नति से संबधित विश्वविद्यालय के सेवा नियमों एवं पदोन्नति के नियमो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	वर्तमान में श्री खेमराज मिस्त्री के पद पर कार्यरत है।
	5 विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार और तकनिकी पदो पर दी गई पदोन्नति के आदेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	वर्ष 2010 में राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना के उपरान्त मिस्त्री से अभियन्ता / ओवरसियर के पद पर किसी भी प्रकार की पदोन्नतियाँ नही की गई है।

अपीलार्थी ने प्रार्थनापत्र दिनांक 02.08.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 07.08.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी से चाही गयी सूचना लोकसूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नही की गयी होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ (अ. 124 / 18) VCS/RAJUVAS /RTI/2018/263 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 31.10.2018 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत तारीख पेशी को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी / आवेदक को पत्रांक 259 दिनांक 16.10.2018 को द्वारा सूचना भिजवा दी गयी है व अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी / आवेदक को सूचना प्रदान की जा चुकी है व अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

P/c Attested.

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर